न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–764/2016

1. मालीराम पुत्र सोहनलाल
2. यतिन्द्र कुमार पुत्र अर्जनलाल

जाति मीणा, निवासीगण सताना, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

–अपीलार्थीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये चिकित्सा प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेड, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर जिला जयपुर।
4. ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय विराटनगर, जिला जयपुर।

– रेस्पोडेंट्स –

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री ज्ञानेश्वर बाढदार अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री ग्यारसी लाल मीणा रेस्पोडेंट की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 09–01–2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी विराटनगर दिनांक 22.06.2016 प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मेड तहसील विराटनगर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 3421, 3426, 3427, 3428, 3451, 3453, 3454, 3455, 3457, 3458, 3459, 5456 कुल किता 12 कुल रकबा 2.63 हैक्टै0 भूमि के खातेदार लीलू सिंह पि.मु. बचन सिंह, दशरथ सिंह पुत्र बाघ सिंह जाति राजपूत, हिस्सा 6 बीघा 2 बिस्वा, महेन्द्र कुमार, ओमप्रकाश, संतोष, कैलाशचन्द्र पिसरान रामकरण, कमला देवी पत्नी रामकरण हिस्सा 17 बिस्वा दर बिस्वा 2/3, मंगला पुत्र गोरू जाति धानका हिस्सा 1/3 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है। उक्त खातेदारान ने खसरा नम्बर 3451 रकबा 0.80 हैक्टै0 हॉस्पीटल हेतु चिकित्सा विभाग राज्य सरकार जरिये चिकित्सा प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र मेड के नाम स्वीकार किया गया शेष खाता लीलू सिंह पिं.मु. बचन सिंह, दशरथ सिंह आदि के नाम रहा। खातेदार लीलू सिंह पि.मु. बचन सिंह ने आराजी खसरा नम्बर 3421, 3453 व 3458 कुल किता 3 कुल रकबा 1.04 हैक्टै0 रहा में से लीलू सिंह पि.मु. बचन सिंह का 7429/36600 हिस्सा था, उक्त हिस्से में से 5630/36600 हिस्सा अपीलान्ट मालीराम पुत्र सोहनलाल को बेचान कर दिया तथा खसरा नम्बर 3451 रकबा 0.80 हैक्टै0 में जरिये नामान्तरकरण संख्या 1732 दिनांक 19.10.2012 को चिकित्सा विभाग के नाम अंकित किया गया तथा शेष हिस्सा अन्य खातेदारों का और हिस्सा 8767/18300 में अपीलान्ट का नाम दर्ज किया गया। अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3421 व 3458, खसरा नम्बर 3453 खसरा नम्बर 3451 के लगवा है। खसरा नम्बर 3421/3458 तो दक्षिणी तरफ है और खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

नम्बर 3453 पूर्वी तरफ है। अपीलान्ट अपनी खातेदारी की भूमि आम रास्ता जो खसरा नम्बर 3451 के उत्तरी तरफ है जिसका कि खसरा नम्बर 3450 है उस आम रास्ते से पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 3451 के अडवा उत्तर से अपीलान्ट अपनी खातेदारी की भूमि में आते हैं चूंकि उक्त रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं है इसलिए अपीलार्थी ने धारा 251–ए के तहत एक आवेदन उपखण्ड अधिकारी के यहां प्रस्तुत किया। चूकिं उक्त रास्ता दिये जाने से सरकारी भूमि जो चिकित्सालय के लिए है, को भी कोई नुकसान नहीं होता है और उसकी एवज में अपीलार्थी ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3453 में से भूमि देना भी मंजूर कर लिया था लेकिन रेस्पोडेंट बावजूद नोटिस के हाजिर न होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन को बिना किसी आधार के निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है।

3– अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि में आम रास्ता खसरा नम्बर 3450 से आने हेतु एकमात्र रास्ता खसरा नम्बर 3451 के पूर्वी मेड के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिणी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी ने सभी पक्षकारों को नोटिस भी दिये थे लेकिन नोटिस देने के बावजूद कोई हाजिर नहीं हुआ और अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट द्वारा कोई सहमति न दिये जाने को आधार बनाकर जो निर्णय दिया है वह सरासर अवैधानिक है। राज्य सरकार ने भी जरिये परिपत्र यह स्पष्टीकरण दिया है कि काश्तकारों को अपने खेतों के लिए राजकीय भूमि में से भी रास्ता दिया जा सकेगा। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों को भी नजरअन्दाज कर निर्णय देने में सरासर गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी ने राज्य सरकार के परिपत्र की अनुपालना में जितनी भूमि के लिए खसरा नम्बर 3451 में से दी जानी है। उतनी भूमि अपीलार्थी अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3453 व 3421 में से देने को सहमत हो गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी पहलुओं को नजरअन्दाज कर और वास्तविक तथ्यों को जांच किये बिना ही आवेदन पत्र को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया। अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाकर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) स्वीकार फरमाया जावे।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251(ए) प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 3451 में से रास्ता चाहा गया है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि अपीलान्ट द्वारा ही दान दी गई तथा अपीलान्ट की शेष खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु इसी भूमि से रास्ता न्यूनतम दूरी एवं सुविधाजनक होने से रास्ता कायम किये जाने की मांग की गई है। प्रार्थीगण अपीलान्ट के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा रास्ता के बदले भूमि अथवा प्रतिकर देने की सहमति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बताई गई थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के कथनों पर विचार नहीं करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा चाहे जाने वाले रास्ता दिये जाने से अप्रार्थीगण रेस्पोडेंटस को कोई हानि होना संभावित नहीं है क्योंकि अपीलान्ट द्वारा बदले में प्रतिकर राशि देने एवं चिकित्सालय की प्रभावति चारदीवारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

का पुन निर्माण करने की सहमति दी गई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

6– रेस्पोडेट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को उचित बताते हुए अपील अस्वीकार करने का कथन किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 की ओर से विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित आये परन्तु उनके द्वारा प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का कथन किया गया।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीयान/अपीलान्ट्स द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3421 व 3458 में आने जाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 3451 रकबा 0.80 हैक्टैयर में से रास्ता अन्तर्गत धारा 251 क स्वीकृत किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था। भूमि खसरा नम्बर 3451 वर्तमान में चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार जरिये चिकित्सा प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेड के नाम से दर्ज है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उक्त भूमि अपीलान्टस एवं अन्य सह–खातेदारों द्वारा निःशुल्क प्रदान किये जाने का कथन अपीलान्ट्स द्वारा किया गया है।उक्त भूमि नामान्तकरण सख्या 1732 दिनांक 19–10–2012 के जरिये चिकित्सा विभाग के नाम से दर्ज हुई है। इससे पूर्व खसरा नम्बर 3451 में अपीलान्ट्स 1/3 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार रहे है। उक्त खसरा नम्बर 3451 गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 3450 व अपीलान्ट्स की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3421 के मध्य स्थित है जो पत्रावली में उपलब्ध नक्शा ट्रेस की प्रतिलिपि से स्पष्ट है।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में यह उल्लेख करते हुए कि " प्रार्थीगण के द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि में मेड पीएचसी निर्मित है। पीएचसी प्रभारी/बी0सी0एम0ओ0 की सहमति पत्रावली में संलग्न नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है," प्रार्थीयान का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय किसी भी दृष्टि से विधि अनुकूल नही है। सिवाय चक अथवा किसी सरकारी विभाग की खातेदारी में स्थित भूमि में से रास्ता दिये जाने हेतु भी प्रावधान धारा 251 क में निहित हैं। अधिनस्थ न्यायालय को रास्ता हेतु आवश्यक घटक वैकल्पिक रास्ते का अभाव एवं रास्ते की आत्यतिक आवश्यकता के संबंध में जॉच की जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में इस प्रकार का कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र संबंधी कोई जॉच करवाई गई हो। न्यायालय द्वारा मात्र सरसरी दृष्टि से तथा नॉनस्पीकिंग आदेश के जरिये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है जो कि न्यायोचित नही है।अपीलान्टस के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह कथन किया गया है कि वे रास्ते के बदले समान भूमि अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3421 व 3458 में से देने के लिये तैयार है अथवा रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में सरकार के द्वारा निर्धारित प्रतिकर राशि का भुगतान करने के लिये भी तत्पर है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट्स द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उक्त रास्ता स्वीकृत किये जाने से यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्थित किसी निर्माण आदि संरचना का नुकसान होता हो तो वे उक्त संरचना का पुनर्निर्माण करवाये जाने हेतु भी सहमत है।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नक्शा ट्रेंस की नकल के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीयान की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3421 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 3451 में से ही सबसे नजदीकी रास्ता संभव है।यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्टस द्वारा कथन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

किया गया है कि उनकी खातेदारी में से ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु निःशुल्क भूमि प्रदान की गई है ऐसे में प्रार्थीयान का उक्त भूमि में से रास्ता प्राप्त किये जाने का एक अप्रत्यक्ष हक व अधिकार भी उत्पन्न होता है।उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह प्राकृतिक न्याय एवं विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा अपीलान्ट्स की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

8– अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–06–2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन को ध्यान में रखते हुए तथा प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार जॉच की जाकर उपयुक्त पाये जाने पर प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता नियमानुसार भूमि अथवा प्रतिकर के बदले स्वीकार किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 09–01–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर